



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ३]

बुधवार, फेब्रुवारी २५, २०२६/फाल्गुन ६, शके १९४७

[पृष्ठ ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २५ फरवरी, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. III OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF
ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE ACT, 2025.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२६।

महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२५ में
अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के
सन् २०२५ बकायों का निपटान अधिनियम, २०२५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक
का महा.१७। हुआ है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तर वे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया है:—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान संक्षिप्त नाम।
(संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(१)

सन् २०२५ का
महा. १७ की धारा
१० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२५ (जिसे सन् २०२५ का महा. १७। इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा १० की सारणी के स्तंभ ४ में, “३१ दिसम्बर २०२५” अंक और अक्षरों के स्थान में, “३१ मार्च २०२६” अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

सन् २०२५ का
महा. १७ की धारा
११ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ११ की, उप-धारा (१) के पश्चात् निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु, जहाँ एक ही सांविधिक आदेश के संबंध में एक से अधिक अपीलें दायर की गई हो और ऐसे अपील भिन्न और अलग किए जा सकनेवाले मद अंतर्विष्ट है तो आवेदक, इस अधिनियम के अधिन लाभ लेने के लिए, शेष अपील या अपीलों के कायम रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे भिन्न और अलग मदों से संबंधित अपील पूरी तरह और बिना शर्त वापस ले सकेगा :

परंतु यह और भी कि, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व, जहाँ सांविधिक आदेश के संबंध में कोई अदायगी, चाहे अपील में या अन्यथा में की गई है, और

(क) जहाँ ऐसी अदायगी मदवार पहचान योग्य है तो वह तत्स्थानी मद या मदों से संबंधित दायित्व के रूप में समायोजित की जाएगी ;

(ख) जहाँ ऐसी अदायगी मदवार पहचान योग्य नहीं है, तो वह इस धारा के अधीन अपील या अपीलों को वापस लेने से उद्भूत दायित्व के अनुपात के रूप में समायोजित की जाएगी और अपील या अपीलों जो शेष विलंबित है, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा जैसा की निर्धारित किया जाए ऐसी रीत्या, होगी।”।

विधिमाम्यकरण।

४. महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२५ (जिसे इसमें आगे, “उक्त अधिनियम” कहा गया है) में या किसी न्यायालय के किन्ही न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस की आवश्यक रकम की कोई अदायगी ३१ दिसम्बर २०२५ के पश्चात्, महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, २०२६ के प्रारम्भण तक किसी आवेदक से उक्त अधिनियम के अधीन अदा की गई और संग्रहीत की गई है तो, वह विधि के अनुसरण में सम्यक और वैध रूप से अदा की गई और हमेशा के लिए अदा की गई तथा संग्रहीत की गई समझी जाएगी मानों कि, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर निरंतर प्रवर्तन में थे और तदनुसार,—

(क) अपेक्षित रकम के द्वारा प्राप्त उत्पन्न किसी रकम के प्रतिदाय के लिए किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण में या के समक्ष कोई वाद या कार्यवाहियाँ बनाई या संस्थित नहीं की जाएगी;

(ख) कोई न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण ऐसे आवश्यक रकम के ज़रिए प्राप्त या उत्पन्न किसी रकम का प्रतिदाय करने के निदेश देनेवाले कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त नहीं करेंगे।

सन् २०२५ का महा. १७।

सन् २०२५ का महा. १७।

सन् २०२६ का महा. ____।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२५ (सन् २०२५ का महा. १७) यह अधिनियम कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस जो, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, विभागों, ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों या अन्य प्राधिकरणों, उद्यमों या इकाईयों जो कम्पनि अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का १८) या राज्य अधिनियमों या सरकारी संकल्पों द्वारा गठित किए हैं से अन्यथा केंद्रीय अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, के द्वारा देय महाराष्ट्र सरकार के वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहीत, अधिरोपित या देय हैं, के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा १० यह उपबंध करती है कि अपेक्षित रकम की अदायगी के लिए अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२५ है। तथापि, यह देखा गया है कि, कई पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी इकाईयाँ जो हाँलाकि निपटान का लाभ उठाना चाहती हैं, कई अपील अधिकरण में अपीले विचाराधिनता के कारण विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपीलों को वापस लेने और आवश्यक रकम की अदायगी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। राज्य सरकार को, अदायगी का उक्त दिनांक विस्तारित करने के लिए ऐसे इकाईयों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए, सरकार, उक्त दिनांक को ३१ मार्च २०२६ तक विस्तारित करना इष्टकर समझती है। अतः इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा १० का यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित है।

३. यह ध्यान में आया है कि, कतिपय मामलों में एक सांविधिक आदेश एक से अधिक भिन्न और अलग किए जा सकनेवाले मद्दों अंतर्विष्ट करता है और ऐसे मद्दों के संबंध में अलग अपील विलंबित है। उक्त अधिनियम की धारा ११ का विद्यमान उपबंध निपटान के लिए शर्त के रूप में अपील को वापस लेना चाहता है। इस उपबंध के कारण आवेदक ने अपील में भिन्न और अलग किए जा सकनेवाले मद्दों में से कई मद्दों का निपटान करना हाँलांकि वह चाहते हुए भी पूर्ण अपील वापस ली है। अतः इसलिए, अपील में केवल ऐसा भिन्न और अलग किए जा सकनेवाला मुद्दा जिसे आवेदक अपीलों में शेष मद्दों की निरंतरता को प्रभावित किए बिना निपटान चाहता है, के संबंध में अपील वापस लेने की अनुमति के लिए और अदायगीयों के अनुपात में समायोजन करने के लिए उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा ११ संशोधित करना इष्टकर समझा है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांक २३ फरवरी, २०२६.

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में आवश्यक रकम की अदायगी करने का अंतिम दिनांक विस्तारित करने और केवल भिन्न तथा कई मद्दों के संबंध में अपील वापस लेने की अनुमति देने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा १० और ११ में का संशोधन करना प्रस्तावित करता है। प्रस्तुत विधेयक में, से राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति होने पर, राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय उपगत होनेवाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फ्रीस के बकायों का निपटान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, २०२६ ई, पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते हैं।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २५ फरवरी, २०२६ ।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।